"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 324] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 जून 2015— ज्येष्ठ 14, शक 1937

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 जून 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ7-76/2014/32. — छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2012) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के शक्तियों एवं कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.-** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन नियम, 2015 कहलायेंगे.

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (अधिनियम क्र. 19 सन् 2012);

(ख) **"खण्डपीठ"** से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन गठित खण्डपीठ;

(ग) **"अध्यक्ष"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के अध्यक्ष;

(घ) **"विषयवस्तु"** से अभिप्रेत है निर्देश, अपील, विविध अपील, विविध आवेदन, याचिका तथा जोड़े गये अथवा संशोधित स्तर के प्रकरण;

(ङ) **"सदस्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के सदस्य;

(च) **"पक्षकार"** से अभिप्रेत है किसी मामले में अथवा इंटरवीनर पक्षकार, यदि ऐसे रूप में अनुज्ञात किया गया है;

(छ) "याचिका" से अभिप्रेत है अधिनियम अथवा इन नियमों के अधीन अधिकरण को प्रस्तुत कोई याचिका;

(ज) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(झ) "अधिकरण" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 के अधीन यथा गठित छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण.

(2) शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके क्रमश: वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है.

3 **खण्डपीठ के गठन हेतु अध्यक्ष की शक्ति.**- अध्यक्ष, अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अथवा उसको संदर्भित किन्हीं विषयों को विनिश्चित करने हेतु, एक या अधिक सदस्यों की एक खण्डपीठ गठित करेगा और इस प्रकार गठित खण्डपीठ, अधिकरण में निहित अधिकारिता तथा शक्तियों का प्रयोग करेगा.

4. **खण्डपीठ की शक्तियां.**- निम्नलिखित विषयवस्तु, दो या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी खण्डपीठ द्वारा सामान्यत: समावेदन अथवा अंतिम चरण में सुनवाई तथा उसका निपटारा किया जायेगा, अर्थात् :-

(एक) बेदखली एवं बकाये किराये के लिए, भाड़ा नियंत्रक द्वारा पारित निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई एवं निराकरण, युगलपीठ द्वारा किया जायेगा.

(दो) विधि द्वारा या इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय या अध्यक्ष के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, समस्त विषयों पर सुनवाई एवं निपटारा, एकल पीठ द्वारा किया जायेगा.

(तीन) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लंबी अवकाश में, न्यायाधीश के रूप में एकल आसीन सदस्य, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के किसी या समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा.

(चार) (क) एकल आसीन सदस्य, अपने समक्ष लंबित किसी कार्यवाही को, इस अनुशंसा के साथ अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर सकेगा कि इसे एक से अधिक सदस्य के खण्डपीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए, जब विधि संबंधी प्रश्न या कोई कठिनाई या कोई आवश्यकता अंतर्वलित हो अथवा यदि वह विचार करता है कि कार्यवाही में विनिश्चय के संबंध में, एकल आसीन सदस्य के पूर्व निर्णय का पुन:विचारण अंतर्वलित है.

(ख) उप-नियम (क) में निर्दिष्ट कार्यवाही में, संदर्भित सदस्य, प्रश्न निर्दिष्ट कर सकेगा या खण्डपीठ, जिसको यह निर्दिष्ट है, के द्वारा कार्यवाहियों को सुनने तथा विनिश्चय करने हेतु कह सकेगा. यदि वह, प्रश्न निर्दिष्ट करता है, तो वह इसके लिए निर्दिष्ट प्रश्न पर खण्डपीठ के निर्णय के अनुसार कार्यवाही को निपटायेगा.

5. **शक्तियों का प्रयोग करने में कठिनाई.**- यदि किसी समय, अध्यक्ष या सदस्य, किन्हीं कारणों से, चाहे जो भी हो, कार्य करने में असमर्थ हो, तो इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, अध्यक्ष या एकल सदस्य को, एक से अधिक सदस्य वाले खण्डपीठ को इन नियमों के अधीन निहित समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी.

6. **पुनर्विलोकन.**- सामान्यत उसी खण्डपीठ, जिसने मूल विषयवस्तु जिसका पुनर्विलोकन चाहा गया है, को सुना है, के द्वारा पुनर्विलोकन के आवेदन पत्र को निपटाया जायेगा :

परन्तु यदि कोई सदस्य अथवा खण्डपीठ के सदस्यों, जिसने मूल विषयवस्तु को निपटाया हो, के सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण के कारण या अन्यथा, अधिकरण का सदस्य न रहा हो या सदस्य न रहे हों, तो उसका, ऐसे खण्डपीठ जिसने ऐसा आदेश, जिसका पुनर्विलोकन किया जाना चाहा गया हो, पारित किया है, के समरूप सदस्यों की उतनी संख्या से गठित खण्डपीठ द्वारा निपटारा किया जायेगा.

7. **कार्य वितरण.**- अध्यक्ष को सदस्य-न्यायाधीशों के मध्य कार्य वितरित करने की शक्तियां होंगी तथा यह भी शक्ति होगी कि विधि के अनुसार निपटाये जाने हेतु आवेदन को पुन: मंगाये या स्वप्रेरणा से किसी प्रकरण को अंतरित करे.

8. **परिसीमा का प्रश्न.**- यदि परिसीमा (लिमिटेशन) का प्रश्न उद्भूत होता है तो संबंधित अधिकरण, ग्रहण करने के प्रश्न पर विचार करने के पूर्व, उक्त प्रश्न का विनिश्चय करेगा.

9. **सुनवाई की आगामी तारीख.**- लंबित विषयवस्तु में, खण्डपीठ, उसे आदिनांकित छोड़े बिना और उसके क्रम में सूचीबद्ध किये जाने के निर्देश के साथ, पक्षकार के लिए आगामी तारीख निर्धारित करेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक एफ7-76/2014/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4-6-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 4th June 2015

NOTIFICATION

No. F 7-76/2014/32. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 19 of 2012), the State Government, hereby, makes the following rules relating to powers and functions of the Chhattisgarh Rent Control Tribunal, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Exercise of Powers and Discharge of Functions of the Chhattisgarh Rent Control Tribunal Rules, 2015.

(2) These Rules shall come into from the date of its publication in the official gazette.

2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Act"** means the Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (Act No. 19 of 2012);

(b) **"Bench"** means a bench constituted under these rules;

(c) **"Chairman"** means the Chairman of the Chhattisgarh Rent Control Tribunal;

(d) **"Matter"** means reference, appeal, miscellaneous appeal, miscellaneous applications, petition and added or altered of cases;

(e) **"Member"** means a member of the Chhattisgarh Rent Control Tribunal;

(f) **"Party"** means the party in any matter or intervener, if permitted as such;

(g) **"Petition"** means any petition made to the Tribunal under the Act or these rules;

(h) **"Section"** means a section of the Act;

(i) **"Tribunal"** means the Chhattisgarh Rent Control Tribunal as constituted under of Section 6 of the Act.

(2) Words and expressions used herein but not defined in these rules shall have the same meanings as respectively assigned to them under the Act.

3. **Power of the Chairman to constitute benches.**- The Chairman may constitute a bench of one or more members to decide any of the matter filed before or referred to the Tribunal and the bench so constituted shall exercise the jurisdiction and the powers vested in the Tribunal.

4. **Powers of bench.**- The following matters shall ordinarily be heard at motion or final stage and disposed off by the bench consisting of two or more members, namely .-

(i) Appeal against the judgment/order passed by the Rent Controller for eviction and arrears of rent shall be heard and disposed off by the double bench;

(ii) Save as otherwise provided by law or by these rules or by special or general order of the Chairman, all matters shall be heard and disposed off by a single bench;

(iii) Notwithstanding anything contained in these rules, in the long vacation, a member sitting alone as a Judge may exercise any or all the powers of the Rent Control Tribunal:

(iv) (a) A member sitting alone may refer any proceeding pending before him to the Chairman with a recommendation that it should be placed before a bench of more than one Member, where it involves a quesition of law or difficulty or importance or if he considers that the decision in the proceedings involves reconsideration of a former decision of a member sitting alone.

(b) In the proceeding referred to in sub-clause (a), the referring member may, refer a question or may ask that the proceedings be heard and decided by the bench to which it is referred. If he refers question, he shall dispose off the proceedings in accordance with the decision of the Bench on the question referred to it.

5. **Difficuty in exercising powers.**- If, at any time, the Chairman or the member is unable to function, for any reason whatsoever, then notwithstanding anything contained in these rules, the Chairman or the member alone, as the case may be, shall have all the powers vested under these rules in a Bench of more than one member.

6. **Review.**- An Application for review shall ordinarily be disposed off by the same bench which heard the original matter sought to be reviewed :

Provided that, If any member or members of the bench which disposed off the original matter has or have ceased to be member or members of the Tribunal by reason of retirement, transfer or otherwise, then it shall be disposed off by a bench consisting of the same number of members as the bench by which order sought to be reviewed was passed.

7. **Distribution of work.**- The Chairman shall have the powers to distribute work amongst the member-judges and shall also have the powers to recall or transfer any case suo-moto or on application for disposal in accordance with law.

8. **Question of limitation.**- If the question of limitation arises, the concerning Tribunal shall decide the said question before considering the question of admission.

9. **Next date of hearing.**- In a pending matter, bench shall fix the next date of hearing for the parties without leaving it undated and with a direction to list it on its turn.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.